

28

CHANDIGARH HOUSING BOARD
CHANDIGARH

No. HB(S)/EA-II/2016/ 193

Dated : 20/01/16

To

The Accounts Officer-I/II/III/IV/V
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.

Subject : Publication of Public Notices in the leading newspaper.

Please find enclosed the photocopies of the following Public Notices published on 14.1.16 and 15.1.16 in the three leading newspapers for further necessary action in the matter.

1. 10 Nos. of different Houses/ Sectors of GPA /Sub GPA cases:-
 - # 2684/2, Sec.44-C, Chd.
 - # 298/1, Sec.41-A, Chd.
 - # 466/2, Sec.41-A, Chd.
 - # 407/2, Sec.41-A, Chd.
 - # 182-C, Sec.51-A, Chd.
 - # 3306/1, Sec.47-D, Chd.
 - # 380, Sec.40-A, Chd.
 - # 497/1, Sec.40-A, Chd.
 - # 2856-C, Sec.49, Chd.
 - # 2297, Sec.45-C, Chd.
2. H.No.330/2, Sec.41-A, Chd.
3. H.No.1054-A, Dhanas, Chd.
4. H.No.147/2, Sec. 45-A, Chd.
5. H.No.405, Sec.41-A, Chd.
6. H.No.368, Sec. 44-A, Chd.
7. 9 Nos. of different Houses/ Sectors of GPA /Sub GPA cases:-
 - # 23-A, Sec.51-A, Chd.
 - # 1699, Sec.29-B, Chd.
 - # 3168, Sec.41-D, Chd.
 - # 34-B, Sec.51-A, Chd.
 - # 2825-C, Sec.49, Chd.
 - # 3175, Sec.52, Chd.
 - # 2345/C, Sec.45-C, Chd.
 - # 1662, Sec.29-B, Chd.
 - # 5610, Ph-III, M.Majra
8. H.No.2061/1, Sec.40-C, Chd.
9. H.No.4242, Maloya, Chd.
10. H.No.17-C, Sec. 51-A, Chd.
11. H.No.4840-A, Sec.38(W), Chd.
12. 6 Nos. of different Houses/ Sectors of GPA /Sub GPA cases:-
 - # 97-C, Sec.51-A, Chd.
 - # 5345/3, M.Majra
 - # 1013/2, Sec.45-B, Chd.
 - # 3250, Sec.40-D, Chd.
 - # 3019/1, Sec.44-D, Chd.
 - # 3153/A, Sec.52, Chd.
13. 6 Nos. of different Houses/ Sectors of GPA /Sub GPA cases:-
 - # 3162, Sec.44-D, Chd.
 - # 4785-A, Sec.38(W), Chd.
 - # 200, Sec.41-A, Chd.
 - # 197/1, Sec.41-A, Chd.
 - # 298, Sec.45-A, Chd.
 - # 3261/1, Sec.45-D, Chd.
14. H.No.1031, Sec.43-B, Chd.
15. H.No. 3299, Sec.40-D, Chd.
16. H.No.1241/2, Sec.43-B, Chd.
17. Regd.No.UTEMP/2008/3BR/GEN/126
18. 2280-A, Sec.63, Chd.
19. 8 Nos. of different Houses/ Sectors of GPA /Sub GPA cases:-
 - # 3280, Sec.47-D, Chd.
 - # 3298/1, Sec.47-D, Chd.

20/1/16
Shalu

Gmt. P. 2

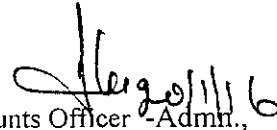
- # 3266/2, Sec.47-D,Chd.
- # 2850, Sec.47-C,Chd.
- # 3295/2, Sec.47-D,Chd.
- # 3117, Sec.41-D,Chd.
- # 3291, Sec.47-D,Chd.
- # 5232, Maninmjra.

DA : As above

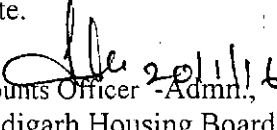
No. HB(S)/EA-II/2015/ 194

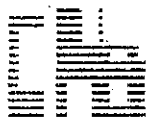
A copy is forwarded to the Computer Incharge, Chandigarh Housing Board for uploading the public notices on the CHB website.

DA : 57 No. Public Notices


Accounts Officer -Admn.,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.

Dated : 20/01/16


Accounts Officer -Admn.,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

18

Jeg Yug marg
Daily Post

dated 14-1-16

CHANDIGARH HOUSING BOARD
8, JAN MARG, SECTOR- 9D, CHANDIGARH, 160 009

PUBLIC NOTICE

Smt. Bhanwati D/o Bhikam and Bhup Singh S/o Popi Ram allottee of House No. 1054-A Sector-Dhanas, Chandigarh has approached the Chandigarh Housing Board for the issuance of duplicate copy of allotment letter of the above said dwelling unit due to loss of this document. He has also furnished a copy of DDR registered No. 28 dated 17/04/2015 with Police Station at Dhanas, U.T. Chandigarh. Regarding the loss of above said document and report from the said Police Post that the same is untraceable. Any person having any objection against the issuance of duplicate copy of allotment letter in r/o the above said Dwelling Unit to the said Smt. Bhanwati D/o Bhikam and Sh. Bhup Singh allottee of in respect of House No. 1054-A Sector-Dhanas, Chandigarh, he/she should file the objection if any, before the undersigned in writing within 21 days from the publication of this notice failing which these documents shall be issued. Further, in case the original documents as mentioned above is found by anyone, the same should be submitted in the above noticed Police Station or in the office of the undersigned.

Secretary,
Chandigarh Housing Board
Chandigarh

CHANDIGARH HOUSING BOARD
A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING
8, JAN MARG, SECTOR- 9D, CHANDIGARH, 0172-4601826

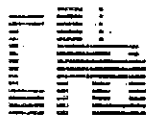
PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of ownership D.U. No. 330-2 in Sector-41-A, Chandigarh in the names of Smt. Parmeshwari Devi W/o Late Sh. Siri Ram (SPA holder & Legal heir of Sh. Siri Ram S/o Late Sh. Bishan Dass who was GPA Will & Agreement to Sell holder of original allottee Smt. Vinod Kumari W/o Sh. Sadhu Ram).

It is hereby notified for the information of the General Public and all concerned that Smt. Parmeshwari Devi W/o Late Sh. Siri Ram SPA Holder & Legal Heir of Sh. Siri Ram S/o Late Sh. Bishan Dass has applied for transfer of D.U. No. 330-2 of UG Category in Sector-41-A, Chandigarh to the Chandigarh Housing Board and stating that Sh. Siri Ram S/o Late Sh. Bishan Dass expired on 12/08/2007 at Chandigarh and she is the legal heir of the deceased GPA Will & Agreement to Sell holder. She has also stated that all other legal heirs of the deceased have relinquished their rights/interest in the Dwelling unit in her (Claimants).

In case anybody has any objection regarding the claim/right/interest in the dwelling unit which is proposed to be transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of Smt. Parmeshwari Devi W/o Late Sh. Siri Ram, he/she may submit the objection in writing to the undersigned within 15 days of the publication of this notice failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of the above claimant.

Secretary,
Chandigarh Housing Board
Chandigarh



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

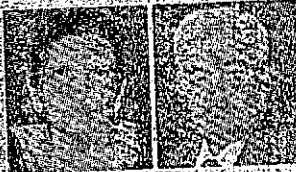
19

Daily Post dated 14-1-16
yug marg

CHANDIGARH HOUSING BOARD
A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING
8, JAN MARG, SECTOR-9D, CHANDIGARH, 0172-4601826

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer / Mutation of 1/5th share of Smt. Savitri Devi W/o Sh. Harbans Lal Malik in respect of D.U. No. 405, Sector-41-A, Chandigarh in the name of Sh. Harbans Lal Malik S/o Sh. Mangal Sain on the basis of intestate demise of transferor Smt. Savitri Devi W/o Sh. Harbans Lal Malik.



It is hereby notified for the information of the General Public and all concerned that the Sh. Harbans Lal Malik S/o Sh. Mangal Sain has applied to the Chandigarh Housing Board stating that the transferee of above said flat Smt. Savitri Devi W/o Sh. Harbans Lal Malik having 1/5th share of above said Dwelling Unit has expired on 15.02.2011 at 675/20, FAIZ ROAD KAROL BAGH, NEW DELHI and he is the legal heir of the deceased transferee. He has further stated that all other legal heirs of deceased transferee have relinquished their rights / interest in the D.U. in his (claimant) favour.

In case anybody has any objection regarding the claim / right / interest in the share of Smt. Savitri Devi W/o Sh. Harbans Lal Malik in respect of above said dwelling unit which is proposed to be transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of Sh. Harbans Lal Malik S/o Sh. Mangal Sain, he/she may submit the objection in writing to the undersigned within 21 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of the above claimant.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.

CHANDIGARH HOUSING BOARD
A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING
8, JAN MARG, SECTOR-9D, CHANDIGARH, 0172-4601826

PUBLIC NOTICE

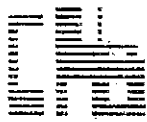
Subject: Transfer of the Ownership in respect of D.U. No. 368, Sector-44-A, Chandigarh in the name of Sh. Bhagvinder Singh Bedi S/o Late S. Sunder Singh on the basis of Registered Will of allottee Sh. Harnek Singh S/o Sh. Arjun Singh.



It is hereby notified for the information of the General Public and to the all concerned that the Sh. Bhagvinder Singh Bedi S/o Late S. Sunder Singh has applied to the Chandigarh Housing Board for transfer of D.U. No. 368 of HIG (UT) Category in Sector-44-A, Chandigarh stating that allottee Sh. Harnek Singh S/o Sh. Arjun Singh expired on 09.07.1992 at SANGRUR (PUNJAB) and had left behind a Registered Will dated 30.07.1987 in favour of Sh. Sunder Singh Bedi S/o Late Sh. Harbans Singh Bedi, which was registered with Sub-Registrar, Chandigarh. He has further stated that the beneficiary of the WILL is Sh. Sunder Singh Bedi. He has also stated that the WILL of deceased allottee is last WILL executed by him in his senses which has neither superseded nor cancelled in the death of the deceased.

In case anybody has any objection regarding the claim / right / interest in the dwelling unit which is proposed to be mutated / transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of the claimant, he/she may submit the objection in writing to the undersigned within 21 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of above said claimant.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

20

yug marg

Daily Post

dated 14-7-16

CHANDIGARH HOUSING BOARD A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING 8, JAN MARG, SECTOR - 9D, CHANDIGARH, 0172-4601826

PUBLIC NOTICE

Before Secretary, CHB Exercising the Powers of the Estate Officer, UT Chandigarh

Subject:- Transfer of D/U No. 147/2, Sector - 45-A, Chandigarh in the name of Smt. Kashmire Devi, W/o Late Sh. Manmohan Singh, Smt. Meena Devi, W/o Late Sh. Parduman Singh, Sh. Prikshit Rana S/o Late Sh. Parduman Singh and Ms. Nidhi Kanwar D/o Late Sh. Parduman Singh from the name of Sh. Parduman Singh, S/o Late Sh. Kanwar Mohan Singh on the basis of Intestate Denise after Deed of Conveyance.



It is hereby notified for the information of the General Public and all concerned that the property known as Dwelling Unit No. 147/2, Sector 45-A, Chandigarh as per the record of this office stands in the name of Sh. Arun Chopra S/o Shri Sardari Lal Chopra Ram Sh. Arun Chopra has further executed the Sale Deed in the name of Sh. Parduman Singh S/o Late Sh. Kanwar Singh which was registered on 22-04-2013 with the Sub-Registrar Chandigarh. Sh. Parduman Singh applied for the transfer of the D/U unit in his name and the case was kept pending due to building violation & in the meanwhile Sh. Parduman Singh expired on 14-12-2014 and the transfer letter has not been issued. Now the above said legal heirs of Sh. Parduman Singh have reported and approached the Chandigarh Housing Board for transfer of dwelling unit in their names on the basis of intestate denise, stating that Sh. Parduman Singh S/o Late Sh. Kanwar Singh died on dated 14-12-2014 at Mohali.

If any body has any objection upon the mutation of the said property in favour of applicant, he/she may submit the objection in writing to the undersigned within 21 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of above said claimant.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.

CHANDIGARH HOUSING BOARD A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING 8, JAN MARG, SECTOR - 9D, CHANDIGARH, 0172-4601809

PUBLIC NOTICE

TRANSFER OF PROPERTY IN THE NAME OF GPA/SUB-GPA HOLDERS

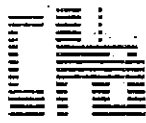
It is hereby notified for the General Public that the following persons who are claiming themselves to be the G.P.A./Sub-G.P.A. Holders, have applied for the transfer of allotment of the under mentioned dwelling units in their names under Regulation 16 of the Chandigarh Housing Board (Allotment, Management and Sale of Tenements) Regulations 1979.

Sr. No.	Name of the applicant Srv. Sh. Smt./Ms.	Capacity (Whether GPA/SUB-GPA)	Name of the allottee G.P.A. or S.O.B. G.P.A. Srv. Sh. Smt./Ms.	D.U. No.	Sector	Category
1	Ashok Kumar	GPA	Promila Gola	2684-2	44-C CHD	UG
2	Nirmal Rani	GPA	Darshan Ram	298-1	41-A CHD	UG
3	Rajesh Kumar	GPA	Parshtam Dan	466-2	41-A CHD	UG
4	Indrajit Kumar Dhillon	GPA	Man Singh	407-2	41-A CHD	UG
5	Saroj K	GPA	Nisha Mahdora	162-C	51-A CHD	UG
6	Mohan Yadav	GPA	Khuku Koley	3306-1	47-D CHD	EWS
7	Sukhdev Singh	GPA	Sunder Singh	360-2	40-A CHD	EWS
8	Suresh Kumar	GPA	Barwan Lal	297-1	40-A CHD	EWS
9	Devender Vir & Neeru Vir	GPA	Satish Kumar Ohanda	2858-C	49 CHD	2BR
10	Chander Devi	Sub-GPA	Suman Gullu (Akhter) Suman Rani GPA	2297	45-C CHD	EWS

Note: The applicant has stated that the Allottee/G.P.A. (as applicable) is alive & G.P.A./Sub-G.P.A. has not been revoked.

In case anybody has any objection in respect of transfer of the allotment of the above said dwelling units, he/she may submit the objection in writing within 15 days of the publication of this notice before the undersigned along with documentary evidence, if any.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
CHANDIGARH HOUSING BOARD,
CHANDIGARH.



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

21

Hindustan Times

Dated 14-1-16

CHANDIGARH HOUSING BOARD
A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING
8, JAN MARG, SECTOR 9, CHANDIGARH - 160009 Ph: 4601826 Fax: 2741461

PUBLIC NOTICE

TRANSFER OF PROPERTY IN THE NAME OF GPA/SUB-GPA HOLDERS.
It is hereby notified for the General Public that the following persons who are claiming, himself/herself, to be the GPA/Sub-GPA Holders, have applied for the transfer of allotment of the under mentioned Dwelling Units in their names under Regulation-16 of the Chandigarh Housing Board (Allotment, Management and Sale of Tenements) Regulations 1979:

Sr. No.	Name of the applicant Sh./Smt./Ms.	Capacity (Whether GPA or Sub-GPA)	Name of the allottee/GPA (In case of SUB-GPA) Sh./Smt./Ms.	D.U. No.	Sector	Category
1.	Pawan Thakur	GPA	Jasbir Singh	97-C-4	51-A, Chd II	IV
2.	Juldan Singh	GPA	Ajay Maini	5345-3	Mani Majra, Chd	IV
3.	Jaswinder Kaur Bedi	GPA	Atul Khanna	1013-2	45-B Chd	HIG(L)
4.	Nannder Kumar	Sub-GPA	Kewal Krishan Arora (Allottee) Anju (GPA)	3250	40-D Chd	LIG(U)
5.	Surjit Singh	GPA	Khazan Singh	3019-1	44-D Chd	HIG(L)
6.	Pardeep Kumar	Sub-GPA	Raj Rani (Allottee) Ved Parkash (GPA)	3153-A	52 Chd	EWS

Note: The applicant has stated that the allottee/GPA (as applicable) is alive & GPA/Sub-GPA has not been revoked. In case any body has any objection in respect of transfer of the allotment of the above said Dwelling Units, he/she may submit the objection, if any, in writing within 15 days of the publication of this notice before the undersigned along with documentary evidence, if any.

Chief Executive Officer
Chandigarh Housing Board
Chandigarh

CHANDIGARH HOUSING BOARD, CHANDIGARH.

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of the Ownership in respect of D.U. No. 17-C, Sector 51-A, Chandigarh in the name of Smt. Promila Wadhwa W/o Late Sh. Satish Wadhwa on the basis of Registered Will of allottee Sh. Satish Wadhwa S/o Sh. Hans Raj Wadhwa.

It is hereby notified for the information of the General Public and all concerned that Smt. Promila Wadhwa W/o Late Sh. Satish Wadhwa has applied to the Chandigarh Housing Board for transfer of D.U. No. 17-C of MIG Category in Sector 51-A, Chandigarh stating that allottee Sh. Satish Wadhwa S/o Sh. Hans Raj Wadhwa expired on 25/03/2015 at Chandigarh and had left behind a Will dated 15/02/2015 which was registered with Sub-Registrar, Chandigarh on dated 28/09/2015 under section 40 of the Indian Registration Act, 1908, in her favour. She has further stated that the Will of deceased allottee is last Will executed by him in full senses which has not been superseded nor cancelled till the death of the deceased.

In case any body has any objection regarding the claim/ right/ interest in the dwelling unit which is proposed to be mutated/ transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of the claimant, he/she may submit the objection in writing to the undersigned within 21 days of the publication of this notice failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of the above claimants.

Secretary
Chandigarh Housing Board, Chandigarh



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

22

Hindustan Times dated 14-1-16

CHANDIGARH HOUSING BOARD
A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING
8, JAN MARG, SECTOR 9, CHANDIGARH - 160009 PH: 4601826 FAX: 2741461

PUBLIC NOTICE
Sh. Pardeep Kumar S/o Sh. Hira Lal GPA holder of original allottee Sh. Lovinder Kumar S/o Sh. Shiv Charan, resident of VPO, Amargam, Distt. Sangrur, Punjab has approached to the Chandigarh Housing Board for the issuance of duplicate copy of allotment letter in respect of Dwelling Unit No. 4840-A, Sector 38 (West), Chandigarh due to loss of these documents. He has furnished the copy of DDR, registered with Police Station, Amargam, Distt. Sangrur, Punjab on dated 11.12.2015 regarding the loss of above said documents and report from the said Police Station that the same is untraceable. Any person having any objection against the issuance of duplicate copy of Allotment Letter in respect of the above Dwelling Unit to the said Sh. Pardeep Kumar S/o Sh. Hira Lal GPA holder of original allottee Sh. Lovinder Kumar S/o Sh. Shiv Charan, he/she should file the objection before the undersigned in writing within 15 days from the publication of this notice, failing which the documents shall be issued. Further, in case the original documents as mentioned above are found by anyone, the same should be submitted in the above noted Police Station or in the office of the undersigned.

Secretary,
Chandigarh Housing Board, Chandigarh

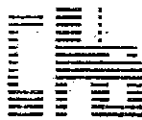
CHANDIGARH HOUSING BOARD, CHANDIGARH

PUBLIC NOTICE
Before Secretary, CHB Exercising the Powers of the Estate Officer, UT Chandigarh.
Subject: Mutation/Transfer of D.U. No. 2061-1, Sector 40-C, Chandigarh in the name of Sh. Jaspal Singh S/o Late Sh. Mohan Lal from the name of Smt. Anandi Devi W/o Late Sh. Mohan Lal (Transferee) on the basis of Registered Will after Death of Conveyance.

It is hereby notified for information of the General Public and all concerned that Sh. Jaspal Singh S/o Late Sh. Mohan Lal has approached the Chandigarh Housing Board for transfer of ownership of dwelling unit No. 2061-1 of LIG (L) category in Sector 40-C, Chandigarh stating that Smt. Anandi Devi W/o Late Sh. Mohan Lal has expired on dated 11.5.2015 at Chandigarh and had left behind Registered Will dated 08.05.2015, which was registered with Sub Registrar Chandigarh in his favour and the same is the last will of the deceased made by him/her in full sense which has neither superseded nor cancelled all the death of the deceased.

If any body has any objection upon the mutation of the said property in favour of applicant, he/she/they may submit the objection in writing to the undersigned within 30 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of above said claimants.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

23

Hindustan Times dated 14-1-16

**CHANDIGARH HOUSING BOARD**
A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING
8, JAN MARG, SECTOR 9, CHANDIGARH - 160009 Ph: 4601826 Fax: 2741461

PUBLIC NOTICE

Sh. Babu S/o. Shri. Soma (Allottee), resident of House No. 4242, in Maloya Colony, Chandigarh, has approached to the Chandigarh Housing Board for the issuance of duplicate copy of Allotment Letter and Possession Letter in respect of Dwelling Unit No. 4242 in Maloya Colony, Chandigarh, due to loss of these documents. He has furnished the DDR No. 066, registered with Police Station, West Sector, 11, Chandigarh, on dated 14.10.2015 regarding the loss of above said documents and report from the said Police Station that the same are untraceable. Any person having any objection against the issuance of duplicate copy of Allotment Letter and Possession Letter in respect of the above Dwelling Unit to the said Sh. Babu S/o. Sh. Soma (Allottee), he/she should file the objection before the undersigned in writing within 15 days from the publication of this notice, failing which the documents shall be issued. Further, in case the original documents as mentioned above are found by anyone, the same should be submitted in the above noted Police Post or in the office of the undersigned.

Secretary,
Chandigarh Housing Board
Chandigarh

**CHANDIGARH HOUSING BOARD**
A CHANDIGARH ADMINISTRATION UNDERTAKING
8, JAN MARG, SECTOR 9, CHANDIGARH - 160009 Ph: 4601803 Fax: 2741461

PUBLIC NOTICE

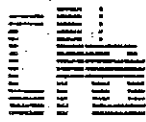
TRANSFER OF PROPERTY IN THE NAME OF GPA/SUB GPA HOLDERS:

It is hereby notified for the General Public that the following person who is claiming themselves to be the G.P.A/Sub-G.P.A Holders, have applied for the transfer of allotment of the under mentioned Dwelling Units in their names under Regulation 16 of the Chandigarh Housing Board (Allotment, Management and Sale of Tenements) Regulations 1979:

Sr. No.	Name of the applicant	Capacity (Whether GPA/Sub GPA)	Name of the allottee/GPA in case of SUB-GPA	D.U. No.	Sector	Category
1.	Nirmal Singla	GPA	Kamaljit Kaur	23-A	51-A, Chd	II
2.	Vijay Chauhan	GPA	Saty Devi (Transferee)	1699	29-B, Chd	EWS
3.	Sushma Devi Kansal & Kamal Kumar Kansal	Sub-GPA	Nand Lal (Allottee) Sanjiv Kalia & Pardeep Kalia (GPA)	3168	41-D, Chd	MIG
4.	Mamta	GPA	Bishan Dass	34-B	51-A, Chd	II
5.	Shelly Sharma	GPA	Ravinder Kumar Minhas	2825-C	49, Chd	IBR
6.	Sunita Kumari	GPA	Ajay Kumar	3175	52, Chd	EWS
7.	Sadhu Singh	Sub-GPA	Karan Singh (Allottee) Bhag Singh (GPA)	2345/3	45-C, Chd	EWS
8.	Veena Rani	SPA	Raj Kumar	1662	29-B, Chd	EWS
9.	Shanila Bhadowaj	GPA	Maj. Inderbir Singh Chowdhary & Neelam Chowdhary	5610	Phase-III Manimajra (Ind.) Chd	HIG

Note: The applicant has stated that the allottee/GPA (as applicable) is alive & GPA/Sub GPA has not been revoked. In case any body has any objection in respect of transfer of the allotment of the above said Dwelling Units, he/she may submit the objection, if any, in writing within 15 days of the publication of this notice before the undersigned along with documentary evidence, if any.

Chief Executive Officer
Chandigarh Housing Board
Chandigarh



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

24

Draft No. Bhasker dated 14-1-16

चडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
 चडीगढ़ प्रशासन का एक उपक्रम
 जन साग, सेक्टर 9, चडीगढ़-160009, 0172-4601826 फ़ैक्स : 2741461

सार्वजनिक सूचना

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री. हा. लाल जीपीए धारक अलौटी श्री. लखन कुमार पुत्र श्री. राज चरण निवासी जीपीओ अमरगढ़ जिला, संगरूर पंजाब में दिवंगत युनिट नं. 4840-ए सेक्टर 38 (वेस्ट) चडीगढ़ के संबंध में आवंटन प्र. को इस्तीफा जमा करने के कारण जारी करने हेतु चडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चडीगढ़ को संपर्क किया है। कथित दस्तावेजों को खोजने पर संपादित करने पुलिस स्टेशन अमरगढ़ जिला संगरूर पंजाब को दिनांक 11-12-2015 को खोजा गया। प्रमाणित करवाया है। तब, कथित पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट जमा करवाया है कि दस्तावेजों को कुछ भी नहीं प्राप्त पाया है। यदि कोई व्यक्ति मूल आवंटन श्री. लखन कुमार पुत्र श्री. राज चरण के जीपीए धारक श्री. प्रदीप कुमार पुत्र श्री. हा. लाल को दस्तावेज दिवंगत युनिट के संबंध में आवंटन प्र. को इस्तीफा जमा करने के विरुद्ध कोई आपत्ति रखता है, तो वह सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर लिखित में अधीक्षकों के समक्ष आपत्ति जमा करवा सकता है। अगला प्रमाणित जारी किया जाएगा और उपरोक्त निर्दिष्ट के तौर पर मूल दस्तावेज यदि किसी द्वारा प्राप्त होते हैं तो वह अधीक्षकों के कार्यालय अथवा उपरोक्त दस्तावेज पुलिस पोस्ट में जमा करवा सकता है।

सांचव
चडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चडीगढ़

चडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
 चडीगढ़ प्रशासन का एक उपक्रम
 जन साग, सेक्टर 9, चडीगढ़-160009, 0172-4601826 फ़ैक्स : 2741461

सार्वजनिक सूचना

जीपीए/सब-जीपीए/हाउल्टर के नाम में संपत्ति का हस्तांतरण

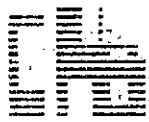
एतद्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति निम्नलिखित स्थानों पर जीपीए/सब-जीपीए/हाउल्टर के तौर पर कार्य किया है। चडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (अलौटी/अलौटी/अलौटी) सेक्टर 38 (वेस्ट) 1979 के एक्टिंग 16 अधिनियम में उल्लिखित दिवंगत युनिट के आवंटन के तहत आवंटन किया है।

क्र.सं.	आवंटन का नाम/सब-जीपीए/हाउल्टर	क्षमता (क्या जीपीए/सब-जीपीए है)	आवंटन/जीपीए का नाम (सब-जीपीए के कस में) या/क्षमता	जी.पू.नं.	सेक्टर/चडीगढ़	के.टी.नं.
1.	पवन टाकूर	जीपीए	जसवीर सिंह	97-सी.2	51-ए	2211
2.	गुलदान सिंह	जीपीए	अजय मेन	5345-3	मनीजपुरा	IV
3.	जसवीर सिंह	जीपीए	अतुल खन्ना	1013-2	45-सी.2	एचआईजी (एल)-11
4.	मोहन कुमार	सब-जीपीए	बबल कृष्ण अग्रवाल (अलौटी) अनु. (जीपीए)	3250-6	40-डी	एचआईजी (एल)-11
5.	सुरजीत सिंह	जीपीए	खजान सिंह	23019-1	44-डी	एचआईजी (एल)-11
6.	प्रदीप कुमार	सब-जीपीए	राज रानी (अलौटी) अनु. (जीपीए)	3153-ए	52-चडीगढ़	इडब्ल्यूएस

नोट: आवंटन में दर्शाया है कि अलौटी/जीपीए (लगभग अनुसार) जोखिम है तथा जीपीए/सब-जीपीए को खोजने का निर्धारण किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त कथित दिवंगत युनिट के आवंटन के संबंध में कोई आपत्ति रखता है तो वह दस्तावेजों प्रमाण के साथ अधीक्षकों के समक्ष इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर लिखित में अपना सब करवा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
चडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चडीगढ़



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

25

Dated 10th October 2015

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

सार्वजनिक सूचना

संपदा अधिकारी (यूटी) चंडीगढ़ को शक्तियाँ का निर्वहन करने वाले संचयन सौचयन के तहत विषय - बजटियम-डॉ. के. आचार्य पर पंजीकृत, वसोयत के आधार पर श्रीमती अनंदी देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल (टोसफुर्त) के नाम से श्री जसपाल सिंह पुत्र स्व. श्री मोहन लाल के नाम पर डॉ. सी. 2061-1 के सेक्टर 40 सी. चंडीगढ़ का आम जनता तथा इस सभा संघीयता की जानकारी हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जसपाल सिंह पुत्र स्व. श्री मोहन लाल ने सेक्टर 40 सी. चंडीगढ़ में एलआईजी (एल) क्रेटरी के इर्दगिर्द प्लॉट सं. 2061-1 के स्वामित्व के हस्तान्तरण हेतु चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास पहुँच कर प्रार्थना सूचित किया है कि श्रीमती अनंदी देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल की दिनांक 05.05.2015 को चंडीगढ़ में मृत्यु हो चुकी है तथा वे अपने पीछे पंजीकृत वसोयत दिनांक 05.05.2015 छोड़ गए हैं जो उसके पक्ष में स्व. राजिन्द्र चंडीगढ़ के पास पंजीकृत था तथा यह मृतक को उनके द्वारा पूर्ण श्राद्धवाश में की गई अंतिम वसोयत है जिस मृतक को मृत्यु तक न तो खारिज किया गया और न ही रद्द किया गया। यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के पक्ष में बाधक संपत्ति के हस्तान्तरण पर कोई आपत्ति है तो यह इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अधिहस्ताक्षरों को लिखित में आपत्ति जमा कर सकता/सकती है अन्यथा कथित इर्दगिर्द प्लॉट का पंजीकरण/ आवेदन उपरोक्त कथित दावेदार के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

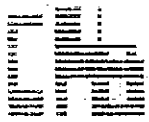
सचिव
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
चंडीगढ़

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

सार्वजनिक सूचना

विषय - आवेदों श्री सतीश बडरा पुत्र श्री हस्तन बडरा का पंजीकृत वसोयत के आधार पर श्रीमती प्रामिला बडरा पत्नी स्व. श्री सतीश बडरा के नाम पर डॉ. सी. 17 सी. सेक्टर 45 ए. चंडीगढ़ के संघीयता संचयन का हस्तान्तरण। आम जनता तथा इस सभा संघीयता की जानकारी हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रामिला बडरा पत्नी स्व. श्री सतीश बडरा ने सेक्टर 45 ए. चंडीगढ़ में एलआईजी क्रेटरी के डॉ. सी. 17 सी. के इर्दगिर्द प्लॉट चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को आवेदन किया है एवं सूचित किया है कि आवेदों श्री सतीश बडरा पुत्र श्री हस्तन बडरा की दिनांक 25.3.2015 को चंडीगढ़ में मृत्यु हो चुका है तथा वे अपने पीछे पंजीकृत दिनांक 15.12.2015 छोड़ गए हैं जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 का धारा 40 अधिनियम 28/9/2015 को उसके पक्ष में स्व. राजिन्द्र चंडीगढ़ के पास पंजीकृत था। उन्होंने आपा सूचित किया है कि मृतक आवेदों की स्वसोयत रमक द्वारा पूर्ण श्राद्धवाश में की गई अंतिम वसोयत है जिस मृतक को मृत्यु तक न तो खारिज किया गया और न ही रद्द किया गया। यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के पक्ष में बाधक संपत्ति के हस्तान्तरण पर कोई आपत्ति है तो यह इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अधिहस्ताक्षरों को लिखित में आपत्ति जमा कर सकता/सकती है अन्यथा कथित इर्दगिर्द प्लॉट का पंजीकरण/ आवेदन उपरोक्त कथित दावेदार के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

सचिव
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
चंडीगढ़



Drain 10

13745 Kev

dated 14-1-16

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
चंडीगढ़ प्रशासन का एक उपक्रम
8, जून मार्ग, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160009, 0172-4601809 फ़ैक्स : 2741461

सार्वजनिक सूचना

श्री बाबू पूर्ण श्रम (अलॉटी) निवासी गंगानगर 4242 मलाना कोलानी चंडीगढ़ ने मलाना कोलानी चंडीगढ़ में डिवाइल्ट यूनिट नं. 2742 के संबंध में आवंटन पत्र तथा जापोर/सब-जापोर को डिवाइल्ट जापोर जो इन दस्तावेजों को खोजने के लिए जारी करने हेतु चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ को संपर्क किया है। कथित दस्तावेजों को खोजने से संबंधित उसने पुलिस स्टेशन बरत सेक्टर 11 चंडीगढ़ को पास 14-10-2015 को डांडी आर.सी. 1086 भी सौंपित कराई है तथा कथित पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट जमा कराई है कि दस्तावेजों को कुछ भी पता चल पाया है। यदि कोई व्यक्ति को बाबू पूर्ण श्रम (अलॉटी) के उपर्युक्त डिवाइल्ट यूनिट के संबंध में आवंटन पत्र तथा जापोर/सब-जापोर को डिवाइल्ट जापोर जारी करने के विरुद्ध कोई आपत्त रखता है तो वह सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर लिखित में अपाहस्ताक्षरों के समक्ष अपनी उम्मा करवा सकता है। अन्यथा दस्तावेज जारी किए जाएंगे और उपर्युक्त डिवाइल्ट के तौर पर मूल दस्तावेज यदि किसी हाथ पाए जाते हैं तो वह अपाहस्ताक्षरों के कार्यालय अथवा उपर्युक्त दस्तावेज पुलिस पोस्ट में जमा करा जा सकता है।

सचिव
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
चंडीगढ़ प्रशासन का एक उपक्रम
8, जून मार्ग, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160009, 0172-4601809 फ़ैक्स : 2741461

सार्वजनिक सूचना

जापोर/सब-जापोर/हाल्टर के नाम में संपत्ति का हस्तांतरण

एवंदनी सभा के अनुसार जो अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति निम्न स्वयं को जापोर/सब-जापोर/हाल्टर के तौर पर दृष्टि कर रहे हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (अलॉटी) सेक्टर 9, जून मार्ग, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160009, 0172-4601809 फ़ैक्स : 2741461

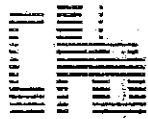
गुलशन-1979 के गुलशन-16/अधिन 1979 के नाम में संपत्ति डिवाइल्ट यूनिट के आवंटन के तहत रहे आवंटन किया है।

क्र.सं.	आवंदन का नाम/श्री/श्रीमती/सहोदर	क्षमता (क्या जापोर/सब-जापोर है?)	आवंटी/जापोर का नाम (सब जापोर के कसम) श्री/श्रीमती/सहोदर	डी.ए.नं.	सेक्टर	फैटनरी
1	नितेश सिंघा	जापोर	कमलजीत कौर	23 ए	51 ए	चंडीगढ़
2	विजय चौहान	जापोर	सत्य देवी (दाम्पत्य)	1699	29-बी	चंडीगढ़
3	सुप्रीत देवी कालेल एवं कमल कुमार कालेल	सब-जापोर	सुनंद लाल (अलॉटी) सजीव कालिया एवं प्रदीप कालिया (जापोर)	3168	41-डी	चंडीगढ़
4	मनता	जापोर	विमल शर्मा	34	51 ए	चंडीगढ़
5	रीती शर्मा	जापोर	रविंद कुमार मिश्रा	2825-सी	49-चंडीगढ़	आवंटी
6	सुनीता कुमारी	जापोर	अजय कुमार	3175	52-चंडीगढ़	आवंटी
7	साधु सिंह	सब-जापोर	रजनी सिंह (अलॉटी) राजनी सिंह (जापोर)	2345/3	45-सी/52-चंडीगढ़	आवंटी
8	जोना रानी	सब-जापोर	राज कुमार	662	29-बी	चंडीगढ़
9	शोभा भारद्वाज	जापोर	मजर इन्द्रबीर सिंह चौधरी एवं नोता चौधरी	610	45-सी/52-चंडीगढ़	आवंटी

नोट - आवंटन के दस्तावेजों में कि अलॉटी/जापोर (संग) अनुसार जीवित है तथा जापोर/सब-जापोर को रह रहा किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त कथित डिवाइल्ट यूनिट के आवंटन के दस्तावेजों के संबंध में कोई आपत्त रखता है तो वह दस्तावेजों प्रमाण के समक्ष अपाहस्ताक्षरों के समक्ष सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर लिखित में अपनी उम्मा करवा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

27

Punjab Kesari dated 14-1-18

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
 चंडीगढ़ प्रशासन का उपक्रम
 8, जन गान, सैक्टर-9डी, चंडीगढ़, 0172-4601826

सार्वजनिक सूचना

विषय: ट्रांसफर, श्रमती, सावित्री देवी पत्नी श्री हरबस लाल मालिक के आवासिक निधन के आधार पर श्री हरबस लाल मालिक पुत्र श्री मंगल सेन के नाम पर डीयू नं. 405/ मेक्टर 41-ए, चंडीगढ़ के संबंध में श्रमती सावित्री देवी पत्नी श्री हरबस लाल मालिक का 5 प्राप्ति पर ट्रांसफर/प्युटेशन।



एतद्वारा साधारण जन्म एवं सभा संबंधों को जानकारी हेतु अधिसूचित किया जाता है कि श्री हरबस लाल मालिक पुत्र श्री मंगल सेन ने चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को आवेदन किया है कि उसका रिहायशी इकाई नं. 4/5वां फ्लोर वाले उमराक प्लेट के श्रमती सावित्री देवी पत्नी श्री हरबस लाल मालिक के ट्रांसफर का 475/20 फ्लोर रोड करोल प्लेट नं. 52/21 को निम्न जोड़िया एवं वर दिवस ट्रांसफर के कानूनी वारिस पी. विनोद कुमार जी के द्वारा कि विगत ट्रांसफर के अन्य सभा कानूनी वारिसों ने उसके (रिहायशी) के पक्ष में डीयू नं. 405/ मेक्टर 41-ए, चंडीगढ़ के संबंध में श्रमती सावित्री देवी पत्नी श्री हरबस लाल मालिक पुत्र श्री मंगल सेन के पक्ष में चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा ट्रांसफर को जानी प्रस्तावित है। में दावा/अधिकार/सब धी को प्रस्तुत होता है वह इस सूचना के 15 दिनों के भीतर अधीनस्थों को लिखित में एतद्वारा जमा करा सकते हैं जिसमें असफल रहने पर उपरि के रिहायशी इकाई के मजदूर के आवेदन उपरि के दावा के पक्ष में ट्रांसफर किया जाएगा।

साचिव
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
 चंडीगढ़ प्रशासन का एक उपक्रम
 8, जन गान, सैक्टर-9डी, चंडीगढ़, 0172-4601826

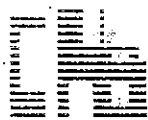
सार्वजनिक सूचना

विषय: श्रमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री सिरा राम क लामा पर सेक्टर 41-ए, चंडीगढ़ में स्थापित डीयू नं. 330-2 का ट्रांसफर (एसपीए होल्डर एवं कानूनी वारिस श्री सिरा राम पुत्र स्व. श्री विनोद राम जो जीपीए, मूल अलाटी श्रमती विनाय कसारी पत्नी श्री साधु राम क सेल होल्डर हेतु जीपीए विनोद एमएमटी या)।

एतद्वारा साधारण जन्म एवं सभा संबंधों को जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि श्रमती परमेश्वरी देवी पत्नी स्व. श्री सिरा राम (एसपीए होल्डर एवं कानूनी वारिस श्री सिरा राम पुत्र स्व. श्री विनोद राम) ने चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को सेक्टर 41-ए, चंडीगढ़ में एसपीए/जीपीए को डीयू नं. 330-2 के ट्रांसफर हेतु आवेदन किया है एवं कहा कि श्री सिरा राम पुत्र स्व. श्री विनोद राम का निधन 12-8-2007 को चंडीगढ़ में हो गया था एवं वह दिवंगत सेल होल्डर के दिवंगत जीपीए विनोद एमएमटी का कानूनी वारिस है। इसने आम बतौर कि दिवंगत के अन्य कानूनी वारिसों ने उसके दावा के पक्ष में रिहायशी इकाई में अपने अधिकार/सब धी को दावा है।

यदि किसी व्यक्ति को रिहायशी इकाई जहाँ श्रमती परमेश्वरी देवी पत्नी स्व. श्री सिरा राम के पक्ष में चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा ट्रांसफर को जानी प्रस्तावित है। में दावा/अधिकार/सब धी को प्रस्तुत होता है वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अधीनस्थों को लिखित में एतद्वारा जमा करा सकते हैं जिसमें असफल रहने पर उपरि के रिहायशी इकाई के मजदूर के आवेदन उपरि के दावा के पक्ष में ट्रांसफर किया जाएगा।

सेक्टर 41-ए
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़



Punjab Kesari dated 14-1-16



चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड

8, जन मार्ग, सेक्टर-9 डी, चंडीगढ़ 160009

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती आनमति पुरी भोक्म एवं श्री भूप सिंह पुत्र प्राप्तारात अलाटी मकान नं० 1054-ए, सेक्टर-9 धनास, चंडीगढ़ इस दस्तावेज को गुप्तशुद्धी के कारण उपरोक्त रिहायशी इकाई के आबंटन पुत्र को इलाकट प्रतित जारी करने हेतु चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने सिफारिश की है। उसने धनास, चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन में डीडीआर पंजीकृत नं० 28 दि० 17-04-2015 को प्रतित भी प्रेषित की है। उपरोक्त दस्तावेज गुप्त के संबंध में एवं उपरोक्त पुलिस बोर्ड में संपर्क जो कि अनुदे सबल है, यदि किसी व्यक्ति को मकान नं० 1054-ए, सेक्टर-9 धनास, चंडीगढ़ के संबंध में उपरोक्त श्रीमती आनमति पुरी भोक्म एवं श्री भूप सिंह अलाटी को उपरोक्त रिहायशी इकाई के संबंध में आबंटन पुत्र को इलाकट पुत्र को इलाकट की भी जारी करने के विरुद्ध कोई एतराज होता वह इस सूचना के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर लिखित में एतराज यदि कोई है, अधाहस्ताक्षरी को दर्ज करवा सकता है जिसमें असफल रहने पर ये दस्तावेज जारी किए जायेंगे इसके अतिरिक्त यदि उपरोक्त निदिष्ट अनुरूप मूल दस्तावेज कि सी को मिल जाते हैं तो इस उपरोक्त लिखे पुलिस स्टेशन या अधाहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करा दें।



चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड

चंडीगढ़ प्रशासन का उपक्रम

8, जन मार्ग, सेक्टर-9 डी, चंडीगढ़ 0172-4601826

सार्वजनिक सूचना

संपक्ष सेक्टर 9, साएचबी, एस्टेट अफसर, मुंबई चंडीगढ़ को शक्तियों के संचालन में।
विषय: कानवयस डीड के अन्तर्गत आकास्मिक निधन के आधार पर श्री परदमन सिंह पुत्र स्व. श्री केवरा मोहन सिंह के नाम से श्रीमती कमोरी देवी (पत्नी स्व. श्री मनुमोहन सिंह, श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व. श्री परदमन सिंह, श्री परीक्षित राधा पुत्र स्व. श्री परदमन सिंह व सुश्री गंधी कवर पुत्र स्व. श्री परदमन सिंह के नाम पर डीप नं० 14772, सेक्टर 45-ए, चंडीगढ़ का दासफर।



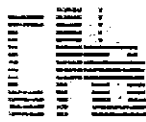
एतद द्वारा साधारण जनता व सभी संबंधितों को जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि निम्नांकित रिहायशी इकाई नं० 14772, सेक्टर 45-ए, चंडीगढ़ का अरुण चौपड़ा पुत्र श्री सरदार लाल चौपड़ा राम के नाम से कोषालय के विरुद्ध अनुदान देने हेतु इसके अतिरिक्त श्री अरुण चौपड़ा ने श्री परदमन सिंह पुत्र स्व. श्री केवरा सिंह के नाम पर लाल डीड निष्पादित की है जो 22-04-13 को सर्वोच्च न्यायिक न्याय प्रणाली द्वारा श्री परदमन सिंह ने उनके नाम पर रिहायशी इकाई दासफर करने के लिए आवेदन किया है एवं चंडीगढ़ उल्लेखन के कारण इसे लांबित था तथा उसी दौरान नं० 4-12-14 को श्री परदमन सिंह की निधन हो गया एवं दासफर लौट जाते सुहायकिया गया निधन श्री परदमन सिंह के उपरोक्त कानूनी वारिसों ने उनके आकास्मिक निधन के आधार पर उनके नाम पर रिहायशी इकाई के दासफर हेतु चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को रिपोर्ट व निवेदन किया है व कहा है कि श्री परदमन सिंह पुत्र स्व. श्री केवरा सिंह का मोहल्ले में दि० 11-12-14 को निधन हो गया है।

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त समाप्ति के मुद्दे पर संबंधी कोई एतराज हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर अधाहस्ताक्षरी को लिखित में एतराज जमा कर सकता है, जिसमें असफल रहने पर उपरोक्त रिहायशी इकाई के प्रजापन या आबंटन उपरोक्त बोर्ड के पक्ष में दासफर किया जाएगा।

सेक्टर 9

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड

चंडीगढ़



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

29

Punjab Kesari dated 14-1-16

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
(चंडीगढ़ प्रशासन का उपक्रम)
8, जन मांगी रोड, चंडीगढ़, 0072-4601809

सार्वजनिक सूचना
जीपीए/ सब जीपीए होल्डर्स के नाम सम्पत्ति का दासपत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (अल्टीमेट मैनेजमेंट एच. टोनेमेंट्स की विधि) 1979 के अधिनियम 16 के अन्तर्गत चंडीगढ़ प्रशासन (चंडीगढ़) की अपने नाम पर अल्टीमेट की होल्डर्स के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने नाम की जीपीए/ सब जीपीए होल्डर्स बना कर नोट नं. 1 आवंटन किया है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	क्षेत्र	अल्टीमेट/जीपीए/सब जीपीए का नाम (सब जीपीए के संबंध में) सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	डी.पू. नं.	सेक्टर	कैटेगरी
1.	अशोक कुमार	जीपीए	चमिता गुलाटी	2684-23	44-सी, चंडीगढ़	एलआइजी
2.	निर्मल रानी	जीपीए	नरयण राम	2983	41-ए, चंडीगढ़	एलआइजी
3.	राजेश कुमार	जीपीए	पुनधात्म-रतन	456-23	41-ए, चंडीगढ़	एलआइजी
4.	इंद्रजीत कुमार दोगरा	जीपीए	मान सिंह	407-21	41-ए, चंडीगढ़	एलआइजी
5.	सरोज	जीपीए	निर्मल गुलाटी	182-सी	51-ए, चंडीगढ़	एलआइजी
6.	मोहन यादव	जीपीए	कृष्ण काल	3306-23	47-सी, चंडीगढ़	रिड्यूस्ड
7.	गुणदेव सिंह	जीपीए	सुरि सिंह	380-23	40-ए, चंडीगढ़	रिड्यूस्ड
8.	सुरेश कुमार	जीपीए	बलकृष्ण लाल	497-15	40-ए, चंडीगढ़	रिड्यूस्ड
9.	दशरथ सिंह एवं नीहा बिज	जीपीए	सतीश कुमार (अल्टीमेट) एवं राम (जीपीए)	2856-सी	49-सी, चंडीगढ़	2पीआर
10.	चंद्र देवी	सब-जीपीए	सुमन गुलाटी (अल्टीमेट) एवं राम (जीपीए)	2297-23	45-सी, चंडीगढ़	रिड्यूस्ड

नोट : आवंटन पत्र है कि अल्टीमेट/जीपीए (जो लागू हो) जीवित है एवं जीपीए/ सब जीपीए के नाम में पता नहीं चल सका है। यदि किसी को भी उपरोक्त व्यक्ति द्वारा चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के दासपत्र के संबंध में कोई भी आपत्ति है, वह/वहमें अपने आपत्ति यदि कोई है, लिखित रूप से अधीनस्थों के सामने दस्तावेज प्रमाण सहित, यदि कोई हो, एक नोटिस के प्रकाशन होने के 15 दिनों के भीतर जमा करवा सकता है। अन्य कार्यकारी अधिकारी, चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
(चंडीगढ़ प्रशासन का एक उपक्रम)
8, जन मांगी रोड, चंडीगढ़, 0072-4601826

सार्वजनिक सूचना

विषय : अल्टीमेट श्री हरनक सिंह पुत्र श्री अजुन सिंह के पंजीकृत वसोयत के आधार पर श्री भगवन्तर सिंह बेदी पुत्र स्व. सुंदर सिंह के नाम पर डी.पू. नं. 368, सेक्टर-44ए के संबंध में स्थापित का दासपत्र।




एतद् द्वारा सार्वजनिक जनता एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि श्री भगवन्तर सिंह बेदी पुत्र स्व. सुंदर सिंह, सेक्टर-44ए, चंडीगढ़ में एचआईजी (पूटा) कटेगरी का होयाने 368 के दासपत्र हेतु चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को आवंटन किया है कि अल्टीमेट श्री हरनक सिंह पुत्र अजुन सिंह को निधन कराने 07/11/1992 को हो गया था उसे अपने शीर्ष श्री सुंदर सिंह बेदी पुत्र स्व. श्री हरन सिंह बेदी के पक्ष में सेक्टर-44, वसोयत दिनांक 30/7/1987 को हो गया था जो सब सेक्टर चंडीगढ़ में पंजीकृत था। उसने अपने अंतिम वसोयत का पता भुपेन्द्र श्री सुंदर सिंह बेदी को भी 1995 का दिनांक मृत्यु का वह एचआईजी श्री सुंदर सिंह बेदी का अधिकारी का नाम वास्तव में अपने आगे बताया है कि दिवंगत अल्टीमेट की वसोयत उसके द्वारा पर हारा में निष्पादित अंतिम वसोयत है जो दिवंगत की मृत्यु तक नहीं है। स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवंगत का अधिकारी के पक्ष में चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा दासपत्र प्रदान की जाती प्रस्तावित है, तो दावा/अधिकार/राज्य संबंधी कोई एतराज होती वह इन सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अधीनस्थों के लिखित सूचनाएं जमा करवा सकता है। जिसमें असफल होने पर एतराज रिहायशी कार्ड के पंजीकृत आवंटन वसोयत का दासपत्र प्रदान किया जाएगा।

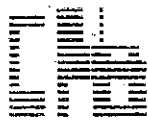
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

del 14-1-16

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਾਉਸਿੰਗਾ ਬੋਰਡ					
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬਾਸਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ					
8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ 9 ਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160009, ਫੋਨ 0172-4601809					
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ					
ਜੀਪੀਏ / ਸਬ ਜੀਪੀਏ ਕੰਨਡਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਟੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160009, ਫੋਨ 0172-4601809					
ਲੜੀ ਨੰ.	ਸਿਟੀ/ਸਬ ਜੀਪੀਏ	ਸਬ ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ	ਸਿਟੀ/ਸਬ ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ	ਸਿਟੀ/ਸਬ ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ	ਸਿਟੀ/ਸਬ ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ
1	ਸਿਟੀ-1	ਸਿਟੀ-1	ਸਿਟੀ-1	ਸਿਟੀ-1	ਸਿਟੀ-1
2	ਸਿਟੀ-2	ਸਿਟੀ-2	ਸਿਟੀ-2	ਸਿਟੀ-2	ਸਿਟੀ-2
3	ਸਿਟੀ-3	ਸਿਟੀ-3	ਸਿਟੀ-3	ਸਿਟੀ-3	ਸਿਟੀ-3
4	ਸਿਟੀ-4	ਸਿਟੀ-4	ਸਿਟੀ-4	ਸਿਟੀ-4	ਸਿਟੀ-4
5	ਸਿਟੀ-5	ਸਿਟੀ-5	ਸਿਟੀ-5	ਸਿਟੀ-5	ਸਿਟੀ-5
6	ਸਿਟੀ-6	ਸਿਟੀ-6	ਸਿਟੀ-6	ਸਿਟੀ-6	ਸਿਟੀ-6
7	ਸਿਟੀ-7	ਸਿਟੀ-7	ਸਿਟੀ-7	ਸਿਟੀ-7	ਸਿਟੀ-7
8	ਸਿਟੀ-8	ਸਿਟੀ-8	ਸਿਟੀ-8	ਸਿਟੀ-8	ਸਿਟੀ-8
9	ਸਿਟੀ-9	ਸਿਟੀ-9	ਸਿਟੀ-9	ਸਿਟੀ-9	ਸਿਟੀ-9
10	ਸਿਟੀ-10	ਸਿਟੀ-10	ਸਿਟੀ-10	ਸਿਟੀ-10	ਸਿਟੀ-10
11	ਸਿਟੀ-11	ਸਿਟੀ-11	ਸਿਟੀ-11	ਸਿਟੀ-11	ਸਿਟੀ-11
12	ਸਿਟੀ-12	ਸਿਟੀ-12	ਸਿਟੀ-12	ਸਿਟੀ-12	ਸਿਟੀ-12
13	ਸਿਟੀ-13	ਸਿਟੀ-13	ਸਿਟੀ-13	ਸਿਟੀ-13	ਸਿਟੀ-13
14	ਸਿਟੀ-14	ਸਿਟੀ-14	ਸਿਟੀ-14	ਸਿਟੀ-14	ਸਿਟੀ-14
15	ਸਿਟੀ-15	ਸਿਟੀ-15	ਸਿਟੀ-15	ਸਿਟੀ-15	ਸਿਟੀ-15
16	ਸਿਟੀ-16	ਸਿਟੀ-16	ਸਿਟੀ-16	ਸਿਟੀ-16	ਸਿਟੀ-16
17	ਸਿਟੀ-17	ਸਿਟੀ-17	ਸਿਟੀ-17	ਸਿਟੀ-17	ਸਿਟੀ-17
18	ਸਿਟੀ-18	ਸਿਟੀ-18	ਸਿਟੀ-18	ਸਿਟੀ-18	ਸਿਟੀ-18
19	ਸਿਟੀ-19	ਸਿਟੀ-19	ਸਿਟੀ-19	ਸਿਟੀ-19	ਸਿਟੀ-19
20	ਸਿਟੀ-20	ਸਿਟੀ-20	ਸਿਟੀ-20	ਸਿਟੀ-20	ਸਿਟੀ-20
21	ਸਿਟੀ-21	ਸਿਟੀ-21	ਸਿਟੀ-21	ਸਿਟੀ-21	ਸਿਟੀ-21
22	ਸਿਟੀ-22	ਸਿਟੀ-22	ਸਿਟੀ-22	ਸਿਟੀ-22	ਸਿਟੀ-22
23	ਸਿਟੀ-23	ਸਿਟੀ-23	ਸਿਟੀ-23	ਸਿਟੀ-23	ਸਿਟੀ-23
24	ਸਿਟੀ-24	ਸਿਟੀ-24	ਸਿਟੀ-24	ਸਿਟੀ-24	ਸਿਟੀ-24
25	ਸਿਟੀ-25	ਸਿਟੀ-25	ਸਿਟੀ-25	ਸਿਟੀ-25	ਸਿਟੀ-25
26	ਸਿਟੀ-26	ਸਿਟੀ-26	ਸਿਟੀ-26	ਸਿਟੀ-26	ਸਿਟੀ-26
27	ਸਿਟੀ-27	ਸਿਟੀ-27	ਸਿਟੀ-27	ਸਿਟੀ-27	ਸਿਟੀ-27
28	ਸਿਟੀ-28	ਸਿਟੀ-28	ਸਿਟੀ-28	ਸਿਟੀ-28	ਸਿਟੀ-28
29	ਸਿਟੀ-29	ਸਿਟੀ-29	ਸਿਟੀ-29	ਸਿਟੀ-29	ਸਿਟੀ-29
30	ਸਿਟੀ-30	ਸਿਟੀ-30	ਸਿਟੀ-30	ਸਿਟੀ-30	ਸਿਟੀ-30
31	ਸਿਟੀ-31	ਸਿਟੀ-31	ਸਿਟੀ-31	ਸਿਟੀ-31	ਸਿਟੀ-31
32	ਸਿਟੀ-32	ਸਿਟੀ-32	ਸਿਟੀ-32	ਸਿਟੀ-32	ਸਿਟੀ-32
33	ਸਿਟੀ-33	ਸਿਟੀ-33	ਸਿਟੀ-33	ਸਿਟੀ-33	ਸਿਟੀ-33
34	ਸਿਟੀ-34	ਸਿਟੀ-34	ਸਿਟੀ-34	ਸਿਟੀ-34	ਸਿਟੀ-34
35	ਸਿਟੀ-35	ਸਿਟੀ-35	ਸਿਟੀ-35	ਸਿਟੀ-35	ਸਿਟੀ-35
36	ਸਿਟੀ-36	ਸਿਟੀ-36	ਸਿਟੀ-36	ਸਿਟੀ-36	ਸਿਟੀ-36
37	ਸਿਟੀ-37	ਸਿਟੀ-37	ਸਿਟੀ-37	ਸਿਟੀ-37	ਸਿਟੀ-37
38	ਸਿਟੀ-38	ਸਿਟੀ-38	ਸਿਟੀ-38	ਸਿਟੀ-38	ਸਿਟੀ-38
39	ਸਿਟੀ-39	ਸਿਟੀ-39	ਸਿਟੀ-39	ਸਿਟੀ-39	ਸਿਟੀ-39
40	ਸਿਟੀ-40	ਸਿਟੀ-40	ਸਿਟੀ-40	ਸਿਟੀ-40	ਸਿਟੀ-40
41	ਸਿਟੀ-41	ਸਿਟੀ-41	ਸਿਟੀ-41	ਸਿਟੀ-41	ਸਿਟੀ-41
42	ਸਿਟੀ-42	ਸਿਟੀ-42	ਸਿਟੀ-42	ਸਿਟੀ-42	ਸਿਟੀ-42
43	ਸਿਟੀ-43	ਸਿਟੀ-43	ਸਿਟੀ-43	ਸਿਟੀ-43	ਸਿਟੀ-43
44	ਸਿਟੀ-44	ਸਿਟੀ-44	ਸਿਟੀ-44	ਸਿਟੀ-44	ਸਿਟੀ-44
45	ਸਿਟੀ-45	ਸਿਟੀ-45	ਸਿਟੀ-45	ਸਿਟੀ-45	ਸਿਟੀ-45
46	ਸਿਟੀ-46	ਸਿਟੀ-46	ਸਿਟੀ-46	ਸਿਟੀ-46	ਸਿਟੀ-46
47	ਸਿਟੀ-47	ਸਿਟੀ-47	ਸਿਟੀ-47	ਸਿਟੀ-47	ਸਿਟੀ-47
48	ਸਿਟੀ-48	ਸਿਟੀ-48	ਸਿਟੀ-48	ਸਿਟੀ-48</	

Pungabi Tribune dated 14-1-16

[illegible]



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

32

Punjab Tribune

dated 14-1-16

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ

8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160009, ਫੋਨ: 4601826, ਫੈਕਸ: 2741461

ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ					
ਜੀਪੀਏ/ਸਬ-ਜੀਪੀਏ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਵਾਂਸ਼ੁ					
ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੀਪੀਏ/ਸਬ-ਜੀਪੀਏ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਏਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਫਿਨੈਂਸ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਦੇ ਓਰਡਰ 16 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਲਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।					
ਲੜੀ ਨੰ.	ਬਿਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ/ਸੀਪੀਏ/ਸਬ-ਜੀਪੀਏ/ਹੋਲਡਰ	ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ (ਸਬ-ਜੀਪੀਏ ਦੇ ਸਬ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ/ਸੀਪੀਏ/ਹੋਲਡਰ)	ਭੂ-ਖੇਤਰ	ਸੈਕਟਰ	ਨਵਾਂਸ਼ੁ
1	ਪਰਮਾਤਮਾ	ਜੀਪੀਏ	97 ਮੀ. 2	51-ਏ 2	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
2	Juldan Singh	ਜੀਪੀਏ	53.45	ਮਨੀ-ਪਸਰਾ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3	ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ	ਜੀਪੀਏ	1013	45-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
4	ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	ਸਬ-ਜੀਪੀਏ	3250	40-ਡੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
5	ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ	ਜੀ ਪੀ ਏ	3019	44-ਡੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
6	ਪਰਮਾਤਮਾ	ਸਬ-ਜੀਪੀਏ	3143	52-ਏ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਟੀ.ਐਚ. 36705

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ					
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ					
8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160009, ਫੋਨ: 4601809, ਫੈਕਸ: 2741461					
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ					
ਜੀਪੀਏ/ਸਬ-ਜੀਪੀਏ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਵਾਂਸ਼ੁ					
ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੀਪੀਏ/ਸਬ-ਜੀਪੀਏ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਏਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਫਿਨੈਂਸ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਦੇ ਓਰਡਰ 16 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਲਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।					
ਲੜੀ ਨੰ.	ਬਿਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ/ਸੀਪੀਏ/ਸਬ-ਜੀਪੀਏ/ਹੋਲਡਰ	ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ (ਸਬ-ਜੀਪੀਏ ਦੇ ਸਬ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ/ਸੀਪੀਏ/ਹੋਲਡਰ)	ਭੂ-ਖੇਤਰ	ਸੈਕਟਰ	ਨਵਾਂਸ਼ੁ
1	ਪਰਮਾਤਮਾ	ਜੀਪੀਏ	97 ਮੀ. 2	51-ਏ 2	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
2	Juldan Singh	ਜੀਪੀਏ	53.45	ਮਨੀ-ਪਸਰਾ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3	ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ	ਜੀਪੀਏ	1013	45-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
4	ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	ਸਬ-ਜੀਪੀਏ	3250	40-ਡੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
5	ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ	ਜੀ ਪੀ ਏ	3019	44-ਡੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
6	ਪਰਮਾਤਮਾ	ਸਬ-ਜੀਪੀਏ	3143	52-ਏ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਟੀ.ਐਚ. 36704

Pingabir Tribune dated 14-1-18

- 16 -

34

Pompey's Tribune dated 14-1-16

[illegible]



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ

8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ 9-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਨ: 0172-4601826

ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ

ਵਿਸ਼ਾ: ਭੀ.ਸੀ. ਨੰ: 330-2, ਸੈਕਟਰ 41-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਲਕੀਅਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪਰਸਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਨੀ ਸਥਾਂਤੀ ਸਿਰੀ ਗਿਮਿਟ ਪਤਰ ਸਥਾਂਤੀ ਸਿਥਨ ਦਾਸ, ਜੀ. ਬਿਨਨ ਦਾਸ, ਜੀ.ਕਿ. ਅਲਾਦੀ ਸੀਮਤੀ ਸੀਮਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ.ਜਪੁ ਰਾਮ, ਏ. ਜੀਪੀਵਿ, ਬਿਨ ਅੰਡਰੇਗੇਮਿਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹਲਡਰ ਸੀ. ਦੀ, ਅਮਪੀਟ ਹਲਡਰ ਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ।

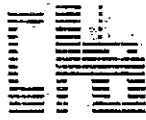
ਅਮ ਨੰਬਰ 102 ਸਕੂਲ ਸਬਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੀਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤੀ ਪਰਸਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਂਤੀ ਸਿਥਨ ਗਿਮਿਟ ਪਤਰ ਸਥਾਂਤੀ ਸਿਥਨ ਦਾਸ, ਜੀ. ਅਮਪੀਟ ਹਲਡਰ ਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਭੀਪੁ ਨੰ: 330-21 ਅਧਿਆਈਨ ਕੰਟਰਾਕਟੀ ਸੈਕਟਰ 41-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੀਤਾ ਜੀ.ਕਿ. ਅਲਾਦੀ ਸੀਮਤੀ ਪਤਰ ਸਥਾਂਤੀ ਸਿਥਨ ਦਾਸ, 24/28/2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਥਨ ਗੀਤਾ ਜੀ. ਅਤ, ਉਹ, ਜੀ. ਬਿਨਨ ਦਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸੀ.ਜਪੀਵਿ, ਬਿਨ ਅੰਡਰੇਗੇਮਿਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹਲਡਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ (ਅਦਾਲਤ) ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੀਪੀਵਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰਸਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਨੀ ਸਥਾਂਤੀ ਸਿਰੀ ਗਿਮਿਟ ਪਤਰ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਤਰ ਵਿਚ ਉਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੀਪੀਵਿ ਅਲਾਦੀ ਦਾ ਵਾ. ਅੰਡਰੇਗੇਮਿਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹਲਡਰ ਸੀ. ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਰਬਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਉਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ਅਨਾਨਮੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

35

Punjab Tribune dated 14-1-18

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ

8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ 9-ਭੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160002

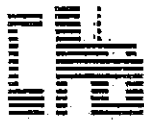
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਨਵਤੀ ਪੁਤਰੀ ਭੀਕਮ ਅਤੇ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿ ਕੰਮਕਾਨ ਨੰ-4054-ਏ ਸੈਕਟਰ 9-ਭੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਹਨ। ਨੇ ਉਕਤ ਡਿਵੈਲੋਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਜੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਜੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਨਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਮਿਤੀ 17/1/2015 ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰ ਨੰ-28 ਵੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਭ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਨਵਤੀ ਪੁਤਰੀ ਭੀਕਮ ਅਤੇ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਡਿਵੈਲੋਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰੀ ਦੇ ਸਹਿਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਈਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਭਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੇਸ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

TRC 33667-5



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

P-11

Times of India dated 15-1-2016

CHANDIGARH HOUSING BOARD

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of the share of Smt. Krishna Sharma W/o Late Sh. I.D. Sharma who was the one of sub-GPA and Agreement to Sell holder of original allottee, Sh. Major Gen. Kuldeep Singh Bajwa S/o Sh. Gurdial Singh Bajwa of the D.U. No. 4241-2 in Sector-43-B, Chandigarh in favour of Sh. Vinod Sharma S/o I.D. Sharma (another sub-GPA and Agreement to sell holder and legal heir of Late Smt. Krishna Sharma). It is hereby notified for the information of the General Public and all concerned that Sh. Vinod Sharma S/o I.D. Sharma (one of sub-GPA and Agreement to sell holder and legal heir of Late Smt. Krishna Sharma) has applied for transfer of D.U. No. 4241-2 of HIG Category in Sec-43-B, Chandigarh to the Chandigarh Housing Board and stating that Smt. Krishna Sharma W/o Late Sh. I.D. Sharma (Co-Sub-GPA and Agreement to Sell holder) expired on 09.12.2008 at CHANDIGARH and he is the legal heir of the deceased Sub-GPA & Agreement to Sell holder. He has also stated that all other legal heirs of the deceased have relinquished their rights/interest in the dwelling unit in his (claimant's) favour. In case anybody has any objection regarding the claim/right/interest in the dwelling unit which is proposed to be transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of Sh. Vinod Sharma S/o I.D. Sharma, he/she may submit the objection in writing to the undersigned within 15 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of the above claimant.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.

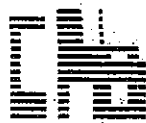
CHANDIGARH HOUSING BOARD

P-11 JAN NARG, SECTOR 9-D, CHANDIGARH-160 009
Phone: 0172-4201220

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of the Ownership in respect of D.U. No. 2280-A, Sector-63, Chandigarh which was allotted against Registration No. GHS-63-2BR-DP-15, Application Form No. 22046 in the name of Sh. Ajay Gupta S/o Sh. Bhupinder Gupta on the basis of Registered Will of allottee Sh. Ram Phool S/o Sh. Bhoola. It is hereby notified for the information of the General Public and to the all concerned that Sh. Ajay Gupta S/o Sh. Bhupinder Gupta has applied to the Chandigarh Housing Board for transfer of D.U. No. 2280-A of 2BR Category in Sector-63, Chandigarh which was allotted against Registration No. GHS-63-2BR-DP-15, Application Form No. 22046 and stating that Allottee Sh. Ram Phool S/o Sh. Bhoola expired on 29.08.2015 at SONEPAT (HARYANA) and had left behind a Registered Will dated 12.01.2010, which was registered with Sub-Registrar, Chandigarh, in his favour. He has further stated that the Will of deceased allottee is last which has neither superseded nor cancelled till the death of the deceased. In case anybody has any objection regarding the claim/right/interest in the dwelling unit which is proposed to be mutated/transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of the claimant, he/she/they may submit the objection in writing to the undersigned within 15 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of the above said claimant.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

P12

Times of india dated 15-1-2016

CHANDIGARH HOUSING BOARD
JAN MARG, SECTOR 30, CHANDIGARH-160 005
Phone: 8172 500025

PUBLIC NOTICE



Subject: Transfer of the Ownership in respect of D.U. No. 1031, Sector 43-B, Chandigarh in the name of Smt. Neelam Gupta W/o. Sh. Rakesh Gupta on the basis of Registered Will of allottee Col. Kul Bhushan Chandra Uberoi S/o Shree Devi Dass.

It is hereby notified for the information of the General Public and to the all concerned that Smt. Neelam Gupta W/o. Sh. Rakesh Gupta has applied to the Chandigarh Housing Board for transfer of D.U. No. 1031 of HIG (U) Category in Sector 43-B, Chandigarh stating that allottee Col. Kul Bhushan Chandra Uberoi S/o Shree Devi Dass expired on 01.09.2014 at NOIDA (UP) and had left behind a Registered Will dated 19.11.1987 which was registered with Sub-Registrar, Chandigarh in her favour. She has further stated that the Will of deceased allottee is last Will executed by him in full senses which has neither superseded nor cancelled till the death of the deceased. In case any body has any objection regarding the claim/right/interest in the dwelling unit which is proposed to be simulated/transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of the claimant, he/she/they may submit the objection in writing to the undersigned within 21 days of the publication of the notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of above said claimants.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.

CHANDIGARH HOUSING BOARD
JAN MARG, SECTOR 30, CHANDIGARH-160 005
Phone: 8172 500025

PUBLIC NOTICE



Subject: Transfer in respect of D.U. No. 3299, Sector 40-D, Chandigarh in the name of Sh. Manmohan Singh S/o Sh. Murl Singh on the basis of Un-Registered Will of allottee Sh. Murl Singh S/o Sh. Moti Singh.

It is hereby notified for the information of the General Public and to the all concerned that Sh. Manmohan Singh S/o Sh. Murl Singh has applied to the Chandigarh Housing Board for transfer of D.U. No. 3299 of UG Category in Sector 40-D, Chandigarh stating that allottee Sh. Murl Singh S/o Sh. Moti Singh expired on 15.02.1998 at GAUHATI (ASSAM) and had left behind a Un-Registered Will dated 09.06.1992 executed by him in full senses which has neither superseded nor cancelled till the death of the deceased. In case any body has any objection regarding the claim/right/interest in the dwelling unit which is proposed to be simulated/transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of the claimant, he/she/they may submit the objection in writing to the undersigned within 21 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of above said claimants.

Secretary,
Chandigarh Housing Board,
Chandigarh.



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

P-13

Times of India dated 15-1-2016

CHANDIGARH HOUSING BOARD 8, JAN MARG, SECTOR 9, CHANDIGARH www.chb.nic.in

PUBLIC NOTICE

TRANSFERS OF REGISTRATION OF THE DEATH OF ALLOTTEE

Sub: Transfer/Mutation of Registration No. UTEMP/2008/3BR/GEN/126 in the name of Sh. Abhey Sagar S/o Sh. Ajay Kumar on the basis of Intestate demise of Sh. Ajay Kumar S/o Sh.

It is hereby notified for the information of General Public and all concerned that the following person has approached the Chandigarh Housing Board for transfer of registration of Three Bed Room Dwelling Unit under U.T. Employees Housing Scheme mentioned against their name, stating that Smt. Mridula Thakur has expired on 19.05.2013 at Chandigarh and he is the heir of the deceased and stated that all other legal heirs of deceased allottee have relinquished their rights/interest in the registration no. in his (claimant) favour.

S. No.	Name of the Allottee	Application Form No.	Registration No.	Category	Name of the Claimant and relationship with the deceased
1	Smt. Mridula Thakur	749A	UTEMP/2008/3BR/GEN/126	3BR	Sh. Abhey Sagar S/o Sh. Ajay Kumar (Son)

In case anybody has any objection regarding the claim/right/interest in the registration no. which is proposed to be transferred by the Chandigarh Housing Board in favour of Sh. Abhey Sagar S/o Sh. Ajay Kumar, he/she may submit the objection in writing to the undersigned within 15 days of the publication of this notice, failing which the registration and allotment of the said dwelling unit shall be transferred in favour of the above claimant.

Secretary
Chandigarh Housing Board, Chandigarh

CHANDIGARH HOUSING BOARD 8, JAN MARG, SECTOR 9-D, CHANDIGARH 0172-4601826

PUBLIC NOTICE

Transfer of Property in the Name of GPA/SUB-GPA Holders

It is hereby notified for the General Public that the following persons who are claiming themselves to be the GPA/Sub-GPA Holders have applied for the transfer of allotment of the under mentioned Dwelling Units in their names under Regulation 16 of the Chandigarh Housing Board (Allotment, Management and Sale of Tenements) Regulations 1979.

S. No.	Name of the applicant Sh./Smt./Ms.	Capacity (Whether GPA/SUB-GPA)	Name of the allottee GPA (in case of SUB-GPA) Sh./Smt./Ms.	D.U. No.	Sector	Category
1	Rakesh Kumar Bansal	GPA	P. Singh	3162	44-D	MIG-II
2	Neelima	GPA	Deepak Sharma	4785-A	38(West)	EWS
3	Karamjit Kaur	Sub-GPA	Rajinder Pal (Transferee) Manoj Kumar (GPA)	2031	41-A	LIG
4	Dilbag Rai	GPA	Krishan Chand	1971	41-A	LIG
5	Pardeep Kumar Bansal	GPA	Santokh Singh	298	45-A	LIG
6	Baldev Singh	Sub-GPA	Shahid Ahmed (Allottee) Ranjit Singh (GPA)	3261/1	45-D	LIG

Note: The applicant has stated that the allottee/GPA (as applicable) is alive & GPA/Sub-GPA has not been revoked.

In case anybody has any objection in respect of transfer of the allotment of the above said dwelling units, he/she may submit the objection, if any, in writing within 15 days of the publication of this notice before the undersigned along with documentary evidence, if any.

Chief Executive Officer,
Chandigarh Housing Board, Chandigarh

CHANDIGARH HOUSING BOARD 8, JAN MARG, SECTOR 9-D, CHANDIGARH 0172-4601826

PUBLIC NOTICE

Transfer of Property in the Name of GPA/SUB-GPA Holders

It is hereby notified for the General Public that the following person who is claiming himself/herself to be the GPA/Sub-GPA Holders have applied for the transfer of allotment of the under mentioned Dwelling Units in their names under Regulation 16 of the Chandigarh Housing Board (Allotment, Management and Sale of Tenements) Regulations 1979.

S. No.	Name of the applicant Sh./Smt./Ms.	Capacity (Whether GPA/SUB-GPA)	Name of the allottee GPA (in case of SUB-GPA) Sh./Smt./Ms.	D.U. No.	Category	Sector
1	Balwant Kaur	Sub-GPA	Chander Kanta (Allottee) Sh. Bhagat Singh (GPA)	3280	EWS	47-D Chd.
2	Makhan Lal	GPA	Sheela Devi	3295-1	EWS	47-D Chd.
3	Kamlesh Rani	GPA	Churini Lal	3266-2	EWS	47-D Chd.
4	Darshan Kumar Katyal	GPA	Parveen Kumar	2850	LIG	47-C Chd.
5	Usha Narang	GPA	Devi Dayal	3295-2	EWS	47-D Chd.
6	Tripta Malhotra	Sub-GPA	Paranjeet Singh Arora (Allottee) Gulshan Rai (GPA)	3117	LIG	41-D Chd.
7	Pushpa Sharma	Sub-GPA	Mohammad Ali (Allottee) Parvesh Kumari (GPA)	3291	EWS	47-D Chd.
8	Pardeep Kapoor	GPA	Suresh H. Kapoor	5232	IV	Mani Majra Chd.

Note: The applicant has stated that the Allottee/GPA (as applicable) is alive & GPA/Sub-GPA has not been revoked.

In case anybody has any objection in respect of transfer of the allotment of the above said dwelling units, he/she may submit the objection, if any, in writing within 15 days of the publication of this notice before the undersigned along with documentary evidence, if any.

Chief Executive Officer,
Chandigarh Housing Board, Chandigarh



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

8-14

Dainik Sevassa dated 15-1-2016

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
8, जयमार्ग सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009
फोन: 172-4601826

सार्वजनिक सूचना

विषय: अलादी श्री गुरली सिंह पुत्र श्री सितार सिंह की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के आधार पर डा. यू. नं. 3299, सेक्टर-40, डी. चंडीगढ़ की श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री गुरली सिंह के नाम पर दास कर।

आम जनता तथा सभी संघों को सूचित किया जाता है कि श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री गुरली सिंह ने डा. यू. नं. 3299 एलआरजी केटीसी सेक्टर-0-डी चंडीगढ़ को दास कर के लिए चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के पास आवेदन किया है, ये कंसा गया है कि अलादी श्री गुरली सिंह पुत्र श्री मोती सिंह का 15.02.1998 में गुवाहटी (असम) में दस्तावेज बनाया था, तब से उन्होंने अपने पूरे जीवन-काल में दिनांक 09.06.1992 को पहले अपने एक ही भूमि अधिग्रहण दास कर को जिस कि मुक्त के दस्तावेज तक न तो सुपरसीड किया गया और न ही वह किया गया था।

प्रतीति यदि किसी व्यक्ति को चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा रिहायशी इकाई को प्रस्तावित प्लेट/दास कर दास कर के हक में किए जाने हेतु दावा/अधिकार/हित संबंधी कंडा एपेलेशन या तो वह अपना एपेलेशन लिखित रूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर अधिकारियों के पास देना होगा, ऐसा न होने पर स्थिति रिहायशी इकाई उपरोक्त दास कर के हक में दास कर कर दी जाएगी।

सचिव
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
चंडीगढ़।

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
8, जयमार्ग सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009
फोन: 172-4601826

सार्वजनिक सूचना

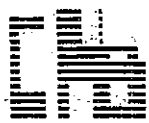
 

विषय: डा. यू. नं. 2280, सेक्टर-63, चंडीगढ़ के तयार में अधिग्रहण को दास कर जिसको आवेदन नंबर 63-2वीं आर-डीपी-15, आवेदन क्रम नं. 22046 के अन्तर्गत अलादी श्री राम फूल पुत्र श्री गुरली सिंह पुत्र श्री गुरली सिंह के आधार पर डा. अजय गुप्ता पुत्र श्री गुरली सिंह के नाम पर आवेदन किया गया था।

आम जनता तथा सभी संघों को सूचित किया जाता है कि श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री गुरली सिंह पुत्र श्री गुरली सिंह ने डा. यू. नं. 2280, सेक्टर-63, चंडीगढ़ के तयार में अधिग्रहण को दास कर के लिए चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के पास आवेदन किया है। ये कंसा गया है कि अलादी श्री राम फूल पुत्र श्री गुरली सिंह की धनोपार्जन (हिरणीय) दिनांक 29.09.2015 को मृत्यु हो गई थी तथा 12.01.2016 को एक नोटिस के द्वारा उस पक्ष में पीछे हटा दी। इसमें भी कहा है कि मुक्त अलादी को वसीयत उसका द्वारा श्री शशी हवास में लिखा अंतिम वसीयत था कि मुक्त के दस्तावेज तक न तो दास कर और न ही सुपरसीड की गई।

यदि किसी व्यक्ति को चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा रिहायशी इकाई को प्रस्तावित प्लेट/दास कर दास कर के हक में किए जाने हेतु दावा/अधिकार/हित संबंधी कंडा एपेलेशन या तो वह अपना एपेलेशन लिखित रूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर अधिकारियों के पास देना होगा, ऐसा न होने पर स्थिति रिहायशी इकाई उपरोक्त दास कर के हक में दास कर कर दी जाएगी।

सचिव
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
चंडीगढ़।



Dainik Sevana dated 15-1-2016

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
8, जलपान, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009
फोन: 0172-4601826

सार्वजनिक सूचना

विषय: श्रमिता, कृष्णा शर्मा पत्नी, स्व. श्री आनंद शर्मा के शरीर का दासपना को कि मुक्त अलाटो श्री मेजर जनरल कुलदीप सिंह बोगिया पुत्र श्री गुरदीपाल सिंह बाजवा, ऑफ डी. यू. नं. 1241/2, सेक्टर-43, चंडीगढ़, को एक चापीर तथा एप्रीमेंट टू सेल, होल्डर, य. को श्री विनाय शर्मा पुत्र आइ. डी. शर्मा (अन. तय) चापीर तथा एप्रीमेंट टू सेल, होल्डर, तथा स्व. श्रीमती कृष्णा शर्मा के कोचुनो वारिस के पूर्व में) आम जनता तथा सभी संबंधों को सूचित किया जाता है कि श्री विनाय शर्मा पुत्र आइ. डी. शर्मा (एक स्व. चापीर तथा एप्रीमेंट टू सेल, होल्डर, तथा स्व. श्रीमती कृष्णा शर्मा के कोचुनो वारिस न. डी. यू. नं. 1241/2 ऑफ एच. आइ. जी. के. टागोरी, सेक्टर-43, चंडीगढ़, को चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के पास ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। ये कहा गया है कि श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी, स्व. श्री आइ. डी. शर्मा (सह. स्व. चापीर तथा एप्रीमेंट टू सेल, होल्डर) को 09/12/2008 को चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई थी तथा वह मृतक शरीर चापीर एड. एप्रीमेंट टू सेल, होल्डर, के कानूनी वारिस हैं। उसने ये भी कहा है कि मृतक के अन्य वारिसों ने रिहायशी इकाई पर अपने अधिकार/हिता को (दासपना) के पूर्व में त्याग दिया है।

यदि किसी व्यक्ति का चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा श्री विनाय शर्मा पुत्र आइ. डी. शर्मा के हक में प्रस्तावित ट्रांसफर किए जाने पर कोई दावा/अधिकार या हित हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अध्यादेशों के पास प्रेषण करने के लिए। ऐसा न होने पर कसब की निजंशान तथा आवेदन परावर्तन आवेदों के हक में कर दिया जाएगा।

सचिव
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
चंडीगढ़।

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
8, जलपान, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009
फोन: 0172-4601826

सार्वजनिक सूचना



विषय: अलाटो, कर्नल कुलभुषण चंद ओवराय, पुत्र श्री देवा दास को रजिस्टर्ड चासीयत के आधार पर डी. यू. नं. 10311, सेक्टर-43, चंडीगढ़, के स्थापित की श्रमिता, जलपान गुप्ता पत्नी श्री राकेश गुप्ता के नाम पर ट्रांसफर के लिए आम जनता तथा सभी संबंधों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जलपान गुप्ता पत्नी श्री राकेश गुप्ता ने डी. यू. नं. 10311 ऑफ रिच. आइ. जी. (यू) के टागोरी, सेक्टर-43, चंडीगढ़, को ट्रांसफर के लिए चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के पास आवेदन किया है। कहा गया है कि अलाटो कर्नल कुलभुषण चंद ओवराय पुत्र श्री देवा दास को नाराजा (युपी) में 01/09/2014 को दहान हो गया था जिसने अपने पीछे 19/11/1987 की रजिस्टर्ड विलीयत उसके हक में छोड़ी थी। उसने आम य. भी कहा है कि मृतक अलाटो की वसीयत पर हाशान-हयास में लिखा गई थी। जिस मृतक के देहांत तक ने तो रद्द किया गया और न ही संपादित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा श्री अलाटो कर्नल कुलभुषण चंद ओवराय पुत्र श्री देवा दास को हक में किए जाने हेतु दावा/अधिकार/हित संबंधी कोई प्रमाण होता वह अपनी एक्जाने लिखित रूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर अध्यादेशों के पास प्रेषण करने के लिए। ऐसा न होने पर कसब की निजंशान तथा आवेदन परावर्तन आवेदों के हक में ट्रांसफर कर दो जाएगी।

सचिव
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड
चंडीगढ़।



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

P-16

Dainik Sevava dated 15-1-2016

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड

8, जन मार्ग, सेक्टर-9, चंडीगढ़ 0172-4601826

सार्वजनिक सूचना

जीपीए/सब-जीपीए धारकों के नाम पर सम्पत्ति की टांसफर

आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति जोकि स्वयं को जी पी ए/सब-जीपीए धारक होने का दावा कर रहे हैं, ने चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (अलाटमेंट, रीनोवेट तथा सल ऑफ टेनैन्ट्स) रजिस्ट्रेशन नं. 1979 के तहत जिन 16 के अधीन निम्न वर्गित रिहायशी इकाइयों की आवंटन की अपने नाम पर टांसफर के लिए आवेदन किया है।

क्र.	प्राप्त का नाम श्री/श्रीमती/मिस	श्रेणी (या जीपीए/सब-जीपीए)	अलाटी/जीपीए का नाम (सब-जीपीए के मामले में सब-जीपीए/श्रीमती/मिस)	डी.यू. नं.	सेक्टर	कैटेगरी
1	राकेश कुमार	जीपीए	डी.पी. सिंह	3162	44-D Chd	MIG-II
2	मोतिया	जीपीए	दीपक शर्मा	4785-A	38(West) Chd	EWS
3	कामेश्वर जी	सब-जीपीए	सजिद जाल (दोस्त) नाम कुमार (जीपीए)	200	41-A Chd	LIG
4	हिलदाग शर्मा	जीपीए	कुमार शर्मा	1971	41-A Chd	LIG
5	प्रवीण कुमार पाल	जीपीए	संतोष सिंह	298	45-A Chd	LIG
6	चमकेश सिंह	सब-जीपीए	शशि आहूजा (अलाटी) राजीव सिंह (जीपीए)	32511	45-D Chd	LIG

नोट :- प्राप्ति का कहना है कि (जैसे लागू) अलाटी/जीपीए बिदा है तथा जीपीए/सब-जीपीए को हटाया नहीं गया। यदि किसी को उपरोक्त रिहायशी इकाइयों के आवंटन की टांसफर पर कोई प्रस्ताव हो तो वह लिखित रूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास दस्तावेजों की प्रमाणसहित जमा कराना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

RO-1795/DS/CHB/16

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड

8, जन मार्ग, सेक्टर-9, चंडीगढ़ www.chb.nic.in

सार्वजनिक सूचना

अलाटी की मृत्यु पर

रजिस्ट्रेशन की टांसफर

प्रिय श्री अजय कुमार पुत्र श्री जी. निम्नलिखित मृत्यु के आधार पर रजिस्ट्रेशन नं. यूटीएमपी/2008/3बीआर/जन/126 की श्री अर्पण सागर पुत्र श्री अजय कुमार के नाम पर टांसफर/रजिस्ट्रेशन।

आम जनता तथा सभी संघर्षों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति ने अपने नाम के समक्ष पूरी इमप्लायमेंट हाऊसिंग बोर्ड के अधीन तीन बंद रूप वाली रिहायशी इकाई की रजिस्ट्रेशन की टांसफर के लिए चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को आवेदन किया है, ये कहा गया है कि श्रीमती मुक्ता ठाकुर की 19.05.2013 को चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई थी तथा वह विधवा का स्वरूप है, ये भी कहा है कि मृतक के अन्य कोई भी धारक न होकर (लॉन्ग टर्म) के पक्ष में रजिस्ट्रेशन नं. में अपने अधिकारी/हिलों को त्याग दिया है।

अलाटी का नाम	आवेदन फॉर्म नं.	रजिस्ट्रेशन नं.	कैट	कैटेगरी
श्रीमती मुक्ता ठाकुर	4749	यूटीएमपी/2008/3बीआर/जन/126	3बी आर	श्री अर्पण सागर पुत्र श्री अजय कुमार (पुत्र)

यदि किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नं. में दावे/अधिकार/हित के संबंध में कोई एनरोज हो जिसे कि चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा श्री अर्पण सागर पुत्र श्री अजय कुमार के हक में प्रस्तावित टांसफर किया जाना है तो वह अपना एनरोज लिखित रूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कराना, अन्यथा कथित रिहायशी इकाई की आवंटन तथा रजिस्ट्रेशन उपरोक्त दावेदार के हक में कर दिया जायेगा।

सचिव
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

RO-1797/DS/CHB/16

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड

चंडीगढ़ प्रशासन द्वाराक उपलब्ध

8, जन मार्ग, सेक्टर-9, चंडीगढ़ 0172-4601826

सार्वजनिक सूचना

जीपीए/सब-जीपीए धारकों के नाम पर सम्पत्ति की टांसफर

आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति जोकि स्वयं को जी पी ए/सब-जीपीए धारक होने का दावा कर रहे हैं, ने चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (अलाटमेंट, रीनोवेट तथा सल ऑफ टेनैन्ट्स) रजिस्ट्रेशन नं. 1979 के तहत जिन 16 के अधीन निम्न वर्गित रिहायशी इकाइयों की आवंटन की अपने नाम पर टांसफर के लिए आवेदन किया है।

क्र.	प्राप्ति का नाम श्री/श्रीमती/मिस	श्रेणी (या जीपीए/सब-जीपीए)	अलाटी/जीपीए का नाम (सब-जीपीए के मामले में सब-जीपीए/श्रीमती/मिस)	डी.यू. नं.	सेक्टर	कैटेगरी
1	कमलेश जी	सब-जीपीए	राज कान्त (अलाटी) श्री प्रवीण सिंह (जीपीए)	3280	2EWS	47-D Chd
2	संजय लाल	जीपीए	श्रीला देवी	3298-1	EWS	47-D Chd
3	कमलेश शर्मा	जीपीए	पुनीता लाल	3256-2	EWS	47-D Chd
4	रजनी कुमार कपूर	जीपीए	प्रवीण कुमार	2850	LIG	47-C Chd
5	जय शर्मा	जीपीए	देवी लाल	3295-2	EWS	47-D Chd
6	मुनीषा मल्लिक	सब-जीपीए	सपनील सिंह आरडा (अलाटी) मुनिषा राधा (जीपीए)	33117	LIG	41-D Chd
7	पुष्पा शर्मा	सब-जीपीए	मोहन लाल असी (अलाटी) प्रवीण कुमार (जीपीए)	3291	EWS	47-D Chd
8	प्रवीण कपूर	जीपीए	सुभाष चंद्र कुमार	5232	IV	Man Mara Chd

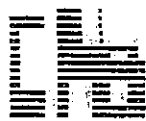
नोट :- प्राप्ति का कहना है कि (जैसे लागू) अलाटी/जीपीए बिदा है तथा जीपीए/सब-जीपीए को हटाया नहीं गया। यदि किसी को उपरोक्त रिहायशी इकाइयों के आवंटन की टांसफर पर कोई प्रस्ताव हो तो वह लिखित रूप में इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के पास दस्तावेजों की प्रमाणसहित जमा कराना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, चंडीगढ़

RO-1795/DS/CHB/16

Ro. Jana Spokasman dated 15-1-2016

[illegible]



CHANDIGARH HOUSING BOARD

A Chandigarh Administration Undertaking

P-18

Rojana Spokasman dated 15-1-2016

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ-9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
0172-4601826

ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਹਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਹਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਆਰਟੀਏ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 1979 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-16 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ.	ਵਿਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	ਸਮਰਥਾ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	ਲੋ.ਹ.	ਕੈਟਗਰੀ	ਸੈਕਟਰ	ਕੋਟਗਰੀ
1	ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ	ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਦੇਵਰ ਕਾਂਤ (ਅਲਾਟੀ)	3280	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
2	ਮੋਖਣ ਲਾਲ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਪ੍ਰਭਾਕਾਰ ਦਾਦੀ	3298-1	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3	ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਬੁਨੀ ਲਾਲ	3266-2	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
4	ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ	2850	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
5	ਉਸ਼ਾ ਨਾਰਾਇਣ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਦੇਵੀ ਵਿਅਾਲ	3295-2	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
6	ਕੁਪਤਾ ਮਨੋਰੰਗਾ	ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ (ਅਲਾਟੀ), ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਣੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	3117	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
7	ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ	ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ (ਅਲਾਟੀ), ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	3291	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
8	ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਪੂਰ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਨਰੇਸ਼ ਅੰਬਾਲਾ	5232	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਨੋਟ: ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ/ਜੀ.ਪੀ.ਏ. (ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਜਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਆਰਟੀਏ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 1979 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-16 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ-9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
0172-4601826

ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਹਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਹਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਆਰਟੀਏ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 1979 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-16 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ.	ਵਿਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	ਸਮਰਥਾ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	ਲੋ.ਹ.	ਕੈਟਗਰੀ	ਸੈਕਟਰ	ਕੋਟਗਰੀ
1	ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਸਲ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਬੀ.ਪੀ.ਏ. ਸਿੰਘ	3162	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	44-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
2	ਨਿਵਾਸ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਦੇਵਿਕ ਬਰਮਾ	4785-A	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	48-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3	ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ	ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਵਿਜੇਦਰ, ਪਾਲ (ਟਰਾਂਸਫਰੀ), ਮਨਜ ਕੁਮਾਰ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	200	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	41-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
4	ਦਿਲਬਾਗ਼ ਰਾਏ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਕੁਨਾਦ ਦੇਵ	1971	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	41-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
5	ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੱਸਲ	ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ	298	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	45-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
6	ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ	ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ.	ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ (ਅਲਾਟੀ), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.)	3261	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	45-ਬੀ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਨੋਟ: ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ/ਜੀ.ਪੀ.ਏ. (ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਜਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਆਰਟੀਏ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 1979 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-16 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
8, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ-9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
www.chb.nic.in

ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਵਿਸ਼ਾ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ. 749/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/2008/3 ਥੀਆਰ/ਜੀਓਐਨ/126 ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ/ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਆਰਟੀਏ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 1979 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-16 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ.	ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ.	ਕੈਟਗਰੀ	ਸੈਕਟਰ	ਕੋਟਗਰੀ
1	ਮੁਕਤਾ	ਮੁਕਤਾ	749	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/2008/3 ਥੀਆਰ/ਜੀਓਐਨ/126	ਟੀ.ਡੀ.ਐਮ.	47-ਬੀ

ਨੋਟ: ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ/ਜੀ.ਪੀ.ਏ. (ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਜਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਸਬ-ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਆਰਟੀਏ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 1979 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-16 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Rojana Spokasman dated 15-1-2016

-27-



CHANDIGARH HOUSING BOARD
A Chandigarh Administration Undertaking

P-20

Punjabi Tribune dated 15-1-2016

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਨੜਕ ਸੂਚੀ

ਦਿਸ਼ਾ: ਅਲਾਟੀ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹਸਤਾਕਰਤਾ ਵਰਗ ਦੀ ਰਸਿਦ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 26/3/2015 ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ 51-ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਪਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਕਤਰ ਵੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਗ ਨੇ ਮਿਸਟਰ 51-ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਰੀ ਕਰ ਗਈ ਤੀਤੀ ਨੂੰ ਨ. 17-ਸੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਕ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਕੋਲ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹਸਤਾਕਰਤਾ ਵਰਗ 26/3/2015 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਬਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਸੀਅਤ ਮਿਸਟਰ 51-2-2015 ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਸਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕ 908 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਮਿਸਟਰ 26/9/2015 ਨੂੰ ਸਬ ਰਸਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਪਿਛੇ ਰਸਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਸੀਅਤ 2015 ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜੀ ਗਈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਛੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ਼ਨ/ਦਰਸ਼ਨਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਤਾਵਤ: ਉਕਤ ਦਰਸ਼ਨਕ ਮਾਨਵ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤਾ/ਮਿਲਕੀਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਬਰਗ ਸਿਮਨਹਸਤਾਵਰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦਰਸ਼ਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਸਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਨੜਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
TRC-36687